संख्या-281/2017/1924/22-2-2016-17(105)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रिका पुत्र श्री रामदौर, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रिका पुत्र श्री रामदौर, ग्राम-बनोहिया, थाना-खलीलाबाद, जनपद-सन्तकबीर नगर का निवासी है। बन्दी ने पत्नी के दूसरे व्यक्ति से अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 04.12.1993 को अपने 04 वर्ष के पुत्र गुड्डू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 10.02.1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 22 वर्ष 08 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पत्नी के अवैध सम्बन्धों के शक में अपने 04 वर्ष के पुत्र गुड्डू की चाकू से गोदकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-49 वर्ष 06 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रिका पुत्र श्री रामदौर, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रिका (बन्दी संख्या-38931) पुत्र श्री रामदौर, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-281/2017/1924(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सन्तकबीर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-281/2017/1924@22-2-2016-17(105)/2010

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी चन्द्रिका (बन्दी संख्या-38931) पुत्र श्री रामदौर, ग्राम-बनोहिया, थाना-खलीलाबाद, जनपद-सन्तकबीर नगर का निवासी है। बन्दी ने पत्नी के दूसरे व्यक्ति से अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 04.12.1993 को अपने 04 वर्ष के पुत्र गुड्डू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 10.02.1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 22 वर्ष 08 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पत्नी के अवैध सम्बन्धों के शक में अपने 04 वर्ष के पुत्र गुड्डू की चाकू से गोदकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-49 वर्ष 06 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रिका पुत्र श्री रामदौर, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।